

# C.S.- 9 का महत्वपूर्ण प्वाइंट L.P. & Guard के लिए

## S.R-9.12/2(A)-

- Prolonged Failure के दौरान गाड़ी संचालन की प्रक्रिया : →
- जब लोको पायलट ऑटोमेटिक सिगनल, सेमी ऑटोमेटिक गेट स्टॉप सिगनल/मिड सेक्शन मोडीफाएड ऑटोमेटिक सिगनल ऑन में पास करेगा गाड़ी की गति 15KMPH तथा मौसम साफ नही है तब 10 KMPH से अधिक नही होगा।
- पहली गाड़ी L.P एवं T.M को T/D 912 प्राधिकार पत्र दिया जाएगा जिसमें अधिकतम गति अतिसतर्कता पूर्वक 25 KMPH/ 10 KMPH तथा फेसिंग प्वाइंट पर 15 KMPH होगा।
- T/D 912 में "ON" में पास करने वाले सभी प्रस्थान/स्वचल/अर्धस्वचल/मध्य सेक्शन गेट सिगनल/हस्त चालित गेट सिगनलों का नंबर लिखा जाएगा। L.P प्रस्थान/हस्त चालित मध्य सेक्शन गेट सिगनल को तभी पास करेंगे जब वर्दीधारी प्रोसीड हैण्ड सिगनल दिखाया जाएगा, L.P मध्य सेक्शन गेट सिगनल को सावधानी पूर्वक तभी पास करेंगे जब यह सुनिश्चित हो जाए कि संपार फाटक सड़क यातायात के लिए बंद एवं लॉकड हो गया हो।
- अगले स्टेशन पर पहुँचते समय L.P अर्धस्वचल/हस्त चालित आगमन रोक सिगनलों/कॉलिंग ऑन सिगनल के Aspect के अनुसार कार्य करेंगे। यदि वह खराब है तो S.M उस गाड़ी के आगमन हेतु सिगनल को "OFF" करने की शर्तों को पूरा करने के बाद एक वर्दीधारी रेल सेवक को T/369 (3b) लेकर L.P के पास भेजेंगे।
- पहली गाड़ी का अगले स्टेशन पर सुरक्षित पहुँच जाने के बाद सभी गाड़ियों के L.P को T/D 912 देकर सेक्शन की अधिकतम गति के अनुसार चलायी जाएगी, फेसिंग प्वाइंट पर अधिकतम गति 15 KMPH होगा।

## SR 9.12/2(B) (यदि संचार साधन उपलब्ध न हो)

स्वचालित सिगनलों की विफलताएँ कुछ समय तक चलने और इसके कारण गंभीर बिलंबन की संभावना हो एवं संचार साधन उपलब्ध नही हो तब दोहरी लाईन पर गाड़ी संचालन के नियम निम्न प्रकार से हैं:-

- गाड़ी को प्रभावित सेक्शन में भेजने से पहले स्टेशन पर रोका जाएगा तथा लोको पायलट/मोटर मैन तथा ट्रेन मैनेजर को वस्तु स्थिति की जानकारी दी जाएगी।
- प्राधिकार के रूप में फॉर्म T/B 912 जारी किया जाएगा जिसमें निम्न लिखित बातें होती हैं:-
  - (क) बिना लाईन क्लियर प्रस्थान करने का प्राधिकार
  - (ख) उन प्रस्थान स्वाचालित, अर्ध स्वचालित, हस्त चालित तथा गेट सिगनल/सिगनलों के नंबर जिन्हें "ON" में पार में किया जाना है।
  - (ग) सतर्कता आदेश:- सीधी लाईन पर जब दृश्यता साफ हो तो अधिकतम गति 15 KMPH तथा दृश्यता साफ न हो तो अधिकतम गति 10 KMPH साथ ही फेसिंग प्वाइंट पर अधिकतम गति 15 KMPH.
- अगले स्टेशन पहुँच कर गाड़ी को आगमन रोक सिगनल पर खड़ा किया जाएगा। स्टेशन मास्टर द्वारा फॉर्म T/369 (3b) जारी करके गाड़ी को रिसीव कर लिया जाएगा।
- यदि सेक्शन में गाड़ी आगे बढ़ने में असमर्थ हो तो जाए तो गाड़ी का बचाव GR 6.03 के अनुसार किया जाएगा।
- रिलिफ इंजन अवरूद्ध ब्लॉक खंड में भेजने का नियत पूर्ण ब्लॉक प्रणाली के जैसा लागू होगा और प्राधिकार के रूप में TC/912 दिया जाएगा।

30.8.24

## SR-9.12/3-

स्वचालित ब्लॉक दोहरी लाईन में अस्थाई रूप से इकहरी लाईन कार्य प्रणाली लागू करने पर की जाने वाली कार्यवाही, यदि संचार के साधन उपलब्ध है:-

लोको पायलट को निम्नलिखित प्राधिकार मिलेगा तथा निम्नलिखित गति प्रतिबंध का पालन करेगा तथा स्टेशन मास्टर द्वारा प्राधिकार जारी किया जाएगा:-

1. सही लाईन से पहली गाड़ी को स्टेशन से T/E 912 पर 25KMPH के गति से चलाया जाएगा जब पहली गाड़ी पहली सिगनलिंग खण्ड के आगे निकलने पर बाद की गाड़ी फॉर्म संख्या T/E 912 पर चलाया जाएगा लेकिन लोको पायलट को बताया जाएगा आपकी गाड़ी पहली गाड़ी नहीं है इसलिए सिगनल के संकेत का पालन करते हुए खण्डिय गति से पास करें।

अगले स्टेशन पर यदि आगमन सिगनल सही है जो ऑफ करके गाड़ी रिसीव किया जाएगा। यदि प्रथम रोक सिगनल खराब है तो T/369(3b) पर पायलट किया जाएगा।

2. **गलत लाईन:-** पहली गाड़ी को T/E 912 पर 25KMPH के गति से चलाया जाएगा, जो अगले स्टेशन पर सही लाईन के प्रथम रोक सिगनल या गलत लाईन के अंतिम रोक सिगनल जो पहले करें गाड़ी को रोक लेगा तथा T/510 प्राधिकार पर गाड़ी को रिसीव किया जाएगा। दूसरी गाड़ी तब तक नहीं चलाई जाएगी जब तक की पहली गाड़ी अगले स्टेशन पर पहुँच न जाए।

बाद की गाड़ी T/E 912 पर खंडीय गति से चलाई जाएगी।

3. जब गाड़ी की दिशा बदली जाएगी तब भी पहली गाड़ी T/E 912 पर 25KMPH पर चलाया जाएगा।

नोट:- सामान्य कार्य संचालन लागू होने पर गाड़ी के लोको पायलट/गाड़ी प्रबंधक को भी इस आशय की सूचना दी जाएगी।

## S.R-9.12/5-

(दोहरी लाईन में पूर्ण संचार भंग होने की स्थिति में दोहरी लाईन में एकहरी लाईन कार्य प्रणाली लागू करने का नियम)

- 1) L.P को S.M के द्वारा सतर्कता आदेश निम्नलिखित बाते लिख कर जारी किया जाएगा:-
  - a) लाईन जिससे हो कर गाड़ी का परिचालन किया जाएगा।
  - b) अवरोध स्थल का किलोमीटर।
  - c) गति प्रतिबंध।
  - d) ट्रेप प्वाइंट जिसे स्पाईक एवं क्लैम्प कर दिया गया है का आश्वासन।
- 2) सही लाईन से जाने वाली गाड़ी पिछले स्टेशन के सेमी ऑटोमेटिक/मैनुअल प्रस्थान सिगनल को T/A 912 एवं सिगनल के नीचे से हाथ सिगनल दिखाये जाने पर पार करेगी।
- 3) **गलत लाईन** से जाने वाली गाड़ी को बाहरी फेसिंग प्वाइंट तक पायलट कर निकाला जाएगा एवं S.M द्वारा L.P को T/A 912 के अतिरिक्त T/511 भी दिया जाएगा।
- 4) रास्ते में पड़ने वाला, कार्यरत इंजीनियरिंग गैंग/की मैन इत्यादि को एकहरी लाईन कार्य प्रणाली लागू है कि जानकारी दी जाएगी।
- 5) सही लाईन से जाने वाली गाड़ी अगले स्टेशन पर आगमन सिगनल ऑफ कर लिया जा सकता है।
- 6) **गलत लाईन** से जाने वाली गाड़ी अगले स्टेशन पर सही लाईन के प्रथम रोक सिगनल अथवा गलत लाईन के अंतिम रोक सिगनल जो भी पहले मिले, वहाँ रुकेगा।

स्टेशन मास्टर लिखित प्राधिकार T/510 लोको पायलट को जारी करेगा एवं सक्षम रेल कर्मी के द्वारा गाड़ी को पायलट तक स्टेशन में प्रवेश करायेगा।

नोट:-विरोधाभाष की स्थिति में एकीकृत सहायक नियम 9.12 मान्य होगा।

30.8.21